रजिस्ट्री सं० डी० एल०- REGD. NO. D. L.-33004/99

lk/kj.k

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 344]ubZ fnYyh]'kfuokj]iQjojh 15] 2014@ek?k 26] 1935

No.344] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15, 2014/MAGHA 26, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

;कार्मिक और प्रशिक्षण विभागद्ध

vkns'k

ubZ fnYyh] 15 iQjojh] 2014

dk-vk- 409(v)-—लोकपाल और लोकायुक्त अध्िनियम, 2013 ;2014 का 1द्ध ;जिसे इसमें पश्चात् उक्त अध्िनियम कहा गया हैद्ध 16 जनवरी, 2014 को प्रवृत्त हुआ थाऋ

और उक्त अध्िनियम की धरा 44 में लोक सेवक से उक्त अध्िनियम के अध्ीन उपबंध्ति रीति में, सक्षम प्राधिकारी को आस्तियों और दायित्वों की घोषणा किए जाने की अपेक्षा की गई हैऋ

और उक्त अध्िनियम, की धरा 44 में (i)लोक सेवक द्वारा पद के ग्रहण किए जाने की तारीख तीस दिन के भीतर पदभार ग्रहण किए जाने के अवसर पर ऋ और (ii)लोक सेवक द्वारा, उक्त अध्िनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिन की अवध् िके भीतर उस रूप में पद धरण करने पर, आस्तियों और दायित्वों से संबंध्ति सूचना देने की अपेक्षा की गई हैऋ

और अध्िनियम की धरा 44 में ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास प्रत्येक वर्ष जुलाई के इकतीसवें दिन को या उसके पूर्व पफाइल किए जाने की अपेक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध् में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे विवरण उस मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर उक्त वर्ष के अगस्त के इकतीसवें दिन तक प्रकाशित कर दिए जाएंऋ

और भिन्न-भिन्न नियम, जैसे कि-

(i) dsUnzh; flfoy lsok (vkpj.k) fu;e] 1964_

(ii) vf[ky Hkkjrh; lsok (vkpj.k) fu;e] 1968_

(iii) jsy lsok (vkpj.k) fu;e] 1966]

तथा प्रत्येक लोक सेवा द्वारा संपति की विवरणी पफाइल किए जाने और आस्तियों की घोषणा किए जाने के संबंध् में लोक सेवक के संबंध् में विद्यमान अन्य सुसंगत नियमों का, जो राष्ट्रपति या केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधन या संसद् के सुसंगत अध्िनियमों के अध्ीन विरचित किए गए हैं, प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा अनुपालन किया जा रहा हैऋ

और उपर्युक्त उक्त नियमों तथा अन्य सुसंगत नियमों का उक्त अध्िनियम की धरा 44 के उपबंधें के अनुरूप उपांतरण या संशोध्न किए जाने में, ऐसी संािवधनिक और अन्य कानूनी अपेक्षाओं को, जिनका कि ऐसे नियमों का, जो प्रवर्तन में हैं, उपांतरण या संशोध्न करते समय पालन किया जाना होगा, बनाए रखते हुए कुछ समय की आवश्यकता होगीऋ

और केन्द्रीय सिविल सेवा ;आचरणद्ध नियम, 1964 का संशोध्न किए जाने में संाविधनिक उपबंधें के अनुसार भारत के नियंत्राक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करना अपेक्ष्िात होगा और अखिल भारतीय सेवा ;आचरणद्ध नियम, 1968 के मामले में उक्त नियमों

का संशोध्न अथवा उपांतरण किए जाने में अखिल भारतीय सेवा अध्िनियम, 1951 ;1951 का 61द्ध की धरा 3 के निबंध्नों के अनुसार संबंध्ित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श किया जाना अपेक्ष्ित होगाऋ

और उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करने वफे पश्चात् उक्त अध्िनियम की धरा 44 वफे उपबंधें का अन्य सुसंगत अध्िनियमों और सांविधानिक उपबंधें के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया को उक्त अध्िनियम की धरा 44 में उपबंध्ति समय-सीमा वफे भीतर पूरा करना संभव नहीं है और न ही संभव हो सकेगाऋ

और उक्त अध्िनियम की धरा 44 वफे उपबंधें को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अध्िनियम की धरा 44 वफे अध्ीन लोक सेवकों द्वारा सूचना प्रदान किए जाने और वा£षक विवरण्ियां पफाइल किए जाने वफे प्ररूप और रीति को विहित किए जाने वफे संबंध् में नियम बनाए जाने वफे पूर्व उसकी अपेक्षा का उफपर नि£दष्ट सांविधनिक उपबंधें, अध्िनियमों और उसके अध्ीन बनाए गए नियमों वफे साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैंऋ

अतः अब, केन्द्रीय सरकार लोकपाल और लोकायुक्त अध्िनियम, 2013 ;2014 का 1द्ध की धरा 62 की उप-धरा ;1द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अध्िनियम की धरा 44 वफे निबंध्नों वफे अनुसार लोक सेवकों द्वारा आस्तियों की घोषणा किए जाने और संपत्त्ि की विवरण्ियां पफाइल किए जाने वफे संबंध् में कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसवफे द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्ष्िाप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्ष्िाप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त ;कठिनाइयों का दूर किया जानाद्ध आदेश, 2014 gS A

;2द्ध यह राजपत्रा में, इसवफे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा ।

2. सुसंगत नियमों का उक्त अध्िनियम की धरा 44 वफे अनुरूप उपांतरण या संशोध्न.—(1) bl vkns'k esa fu£n"V lqlaxr नियमों का उपांतरण या संशोध्न उस तारीख से, जिसको उक्त अध्िनियम वफे उपबंध् प्रवर्तन में आए हैं, एक सौ अस्सी दिन से अनध्कि की अवध् िoQs Hkhrj fd;k tk,xk A

;2द्ध ऐसे लोक सेवक, जिन्होंने सुसंगत नियमों के उपबंधें वफे अध्ीन घोषणाएं, सूचना या विवरण्ियां पफाइल की हैं, उक्त अध्िनियम की धरा 44 वफे अध्ीन विरचित नियमों वफे अनुपालन में यथास्थिति, पुनरीक्ष्ित घोषणाएं, सूचना या विवरण्ियां उसमें विनि£दष्ट अवध् िवफे भीतर iQkby djsxk A

¹la- 407@12@2014&,ohMh&IV(ch)º

nhIrh mek'kadj] la;qDr lfpo

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2014

S.O. 409(E).—Whereas the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) came into force on the 16th day of January, 2014;

And whereas Section 44 of the said Act requires making of a declaration of assets and liabilities by the public servant to the competent authority in the manner provided under the said Act;

And whereas Section 44 of the said Act requires furnishing of information relating to assets and liabilities, (i) by the public servant on the occasion of entering upon office within thirty days from the date of assumption of office, and (ii) by a public servant holding his office as such within a period of thirty days from the date of coming into force of the said Act;

And whereas Section 44 of the said Act also requires the filing of annual return of such assets and liabilities with the competent authority, on or before the 31st day of July every year; and the competent authority in respect of each Ministry or Department shall ensure such statements are published on the website of such Ministry or Department by the 31st day of August of that year;

And whereas different set of rules such as—

(i) the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;

(ii) the All-India Services (Conduct) Rules, 1968;

(iii) the Railway Services (Conduct) Rules, 1966,

and other relevant rules exist with respect to public servants on filing of property returns and making of declaration of assets by every public servant which have been framed by the President or the Central Government in exercise of powers under the Constitution or the relevant Acts of Parliament and are being complied with by each and every Government servant;

And whereas the modifications or amendments of the above said rules and other relevant rules in consonance with the provisions of Section 44 of the said Act will need some time keeping the constitutional and other statutory requirements which are to be followed while modifying or amending of such rules which are in force;

And whereas the amendment of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 shall require consultation with the Comptroller and Auditor-General of India as per the constitutional provisions, and in case of the All-India Services (Conduct) Rules, 1968, the amendment or modification of the said rules shall require consultation with the Governments of the States concerned in terms of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951);

And whereas after following the above procedure, it is unlikely and may not be possible to complete the process of harmonising the provisions of section 44 of the said Act with other relevant Acts and the Constitutional provisions within the timeframe provided in Section 44 of the said Act;

And whereas difficulties have arisen in giving effect to the provisions of Section 44 of the said Act and harmonising its requirement with the above referred Constitutional provisions, Acts and the rules made thereunder before the rules are made by the Central Government for prescribing the form and manner of furnishing information and filing of annual returns by public servants under the said Section 44;

Now, therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), hereby makes the following Order to remove the difficulties in respect of making of declaration of assets by public servants and filing of property returns in terms of Section 44 of the said Act, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014.

2. Modification or amendment of relevant rules in consonance with Section 44 of said Act.—(1) The modification or amendment to the relevant rules referred to in this Order shall be carried out within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date on which the provisions of the said Act came into force.

(2) The public servants who have filed the declarations, information and returns under the provisions of the relevant rules shall file revised declarations, information or returns, as the case may be, in compliance of the rules framed under Section 44 of the said Act within the period specified therein.

[No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.